प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023) दिनांक-24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल, मोहम्मद गंज रम्पुरा थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 कि0लॉ0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.06.2023 तक 19 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, आपसी रंजिश को लेकर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-41007) पुत्र श्री श्री हीरालाल, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-07/2025/3137(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-07/2025/3137/22-2-2023-17(1000)/2019

दिनांक 06 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल, मोहम्मद गंज रम्पुरा थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 कि0लॉ0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.06.2023 तक 19 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, आपसी रंजिश को लेकर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।